चार बीमा कंपनियों पर 671 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 671 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। इसे देश के बीमा क्षेत्र में सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है।

गुरुवार को दिए फैसले में नियामक सीसीआई ने ओरियंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस को साठगांठ और प्रतिस्पर्धारोधी प्रक्रियाएं अपनाने का दोषी पाया है। साथ ही सीसीआई ने चारों बीमा कंपनियों को ऐसी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से रोकने का सख्त निर्देश दिया है।

यह था मामला

चारों सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के खिलाफ यह आदेश गुटबंदी के एक मामले में सुनाया गया है। सीसीआइ केरल सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) की खातिर बीमा सेवा प्रदाता चुनने के लिए हुई निविदा प्रक्रिया की जांच कर रहा था।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने यह जांच इस टेंडर में चारों कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद शुरू की थी। इन कंपनियों ने केरल सरकार के आरएसबीवाई के लिए 18 नवंबर, 2009 को जारी टेंडर में ऊंची प्रीमियम दरों पर बोली लगाने के लिए कार्टेल बना लिया था।

किस पर कितनी पेनाल्टी

कंपनी, राशि (करोड़ रुपये में)

न्यू इंडिया एश्योरेंस- 251.07
नेशनल इंश्योरेंस- 162.8
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस- 156.62
ओरियंटल इंश्योरेंस- 100.56